<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

शैतानसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (सहायक कलक्टर फास्टट्रेक जोधपुर)

सू.अ.अ.अपील सं0 184/2023 (ऑनलाईन नं.)</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>24.08.23</td><td>अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह, निवासी प्लॉट नं. 15, गोपालवाडी, होटल गढगोविन्द के पास, चौपासनी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.05.23. में उसके द्वारा (1) ओरण भूमि में अन्न भण्डार का निर्माण करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत् दिनांक 28.02.23 को शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह द्वारा पेश की गई शिकायत पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (सहायक कलक्टर फास्टट्रेक कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (सहायक कलक्टर फास्टट्रेक कलक्टर कार्यालय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 937 दिनांक 03.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग एवं आवक लिपिक, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 873 दिनांक 26.07.23 द्वारा कुल 02 पृष्ठों की प्रमाणित सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</td><td></td></tr>
</table>